न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 96/2020
बउनवानः–

कान्ही बाई पत्नि स्व0 पांथूलाल जाति गुर्जर निवासी उदपुरिया तह0 मांगरोल जिला बारां

...वादनी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

वकील वादी : श्री रामरतन गुर्जर
दायरा दिनांकः 28.09.2020

निर्णय दिनांक : 19.02.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादनी के मृतक पति श्री पांथूलाल पुत्र श्री बिरधा गुर्जर निवासी उदपुरिया के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 123 खसरा नं0 147 रकबा 2.04 है0 ग्राम उदपुरिया तह0 मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादनी के मृतक पति का हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 1/8 निहित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादनी के मृतक पति पांथूलाल का नाम सहवन से पांथूलाल के स्थान पर पांचूलाल दर्ज हो रहा है जो गलत दर्ज है। वादनी के मृतक पति का वास्तविक नाम पांथूलाल पुत्र बिरधा है। जिसको वादनी राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहती है। वादनी के मृतक पति स्व0 श्री पांथूलाल का नाम अन्य रेकार्ड जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र पांथूलाल पुत्र बिरधीलाल ही दर्ज हो रहा है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में वादनी के मृतक पति का नाम पांथूलाल के स्थान पर पांचूलाल दर्ज होने के कारण उनके वारिसान के नाम विरासत नामा0 दर्ज नही हो पा रहा है। इसलिए राजस्व रेकार्ड में पांचूलाल के स्थान पर पांथूलाल दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः ग्राम उदपुरिया तहसील मांगरोल के राजस्व रेकार्ड खाता सख्या 123 खसरा नं0 147 रकबा 2.04 है0 में वादनी के मृतक पति का नाम पांचूलाल पुत्र बिरधा के स्थान पर पांथूलाल पुत्र बिरधा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:23:01 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 28.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2020/509 दिनांक 15.10.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर ग्राम उदपुरिया की आराजी खाता संख्या 123 खसरा नं0 147 रकबा 2.04 है0 में सह खातेदार पांचूलाल पुत्र बिरधा हिस्सा

1/8 जाति गुर्जर के स्थान पर सही नाम पांथूलाल पुत्र बिरधीलाल गुर्जर का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादनी की दिनांक 19.02.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादनी ने [illegible] में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि से भी वादनी का नाम पांथूलाल पुत्र बिरधीलाल जाहिर होता है। दस्तावेजात के पक्ष में गवाह स्वयं वादनी व सहखातेदार रामेश्वर पुत्र बिरधी जाति गुर्जर निवासी उदपुरिया के बयान करवाये गयें। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 19.02.2021 को अधिवक्ता वादनी की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम उदपुरिया तहसील मांगरोल की खाता संख्या 123 खसरा नं0 147 रकबा 2.04 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज पांचूलाल पुत्र बिरधा को हंजफ किया जाकर उसके स्थान पर पांचूलाल उर्फ पांथूलाल पुत्र बिरधीलाल जाति गुर्जर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:23:01 IST
Reason: SelfAttested